

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process)
Regulations, 2016]

S. No	Particulars	Details
1	Name of corporate debtor	Spectacular Media Marketing Private Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	08.09.2010
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/ registered	The Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, New Delhi
4	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate	U74300DL2010PTC207992
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: 403, Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, New Delhi-110008, India
6	Date of closure of Insolvency Resolution Process	07.12.2020
7	Liquidation Commencement date of Corporate Debtor	07.12.2020
8	Name and registration number of the Insolvency Professional acting as Liquidator	Name – Mohd Nazim Khan Registration No. IBBI/IPA-002/IP-N00076 /2017-18/10207 Tel: +91-11- 45095230
9	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	Address – G-41, Ground Floor, West Patel Nagar New Delhi-110008 Email address: nazim@mnkassociates.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the Liquidator	Address – G-41, Ground Floor, West Patel Nagar New Delhi-110008 Email address: 1. nazim@mnkassociates.com ; 2. Spectacularmediamarketing.cirp@gmail.com
11	Last date for submission of claims	06 th January, 2021

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal New Delhi Bench III has ordered the commencement of liquidation of Spectacular Media Marketing Private Limited on 07th December, 2020.

Nazim

The stakeholders of Spectacular Media Marketing Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims or update their claims on or before 06th January, 2021 to the liquidator at the address mentioned against item 10.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 09th December, 2020
Place: New Delhi


Mohd Nazim Khan
(Liquidator)

नई दिल्ली राजधानी

तीसरे दिन भी जारी रहा मुख्यमंत्री आवास के बाहर तीनों महापौर का प्रदर्शन

पैसे को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में तकरार बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

निगमों के फंड को लेकर आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के बीच की तकरार तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे निगम नेताओं को अब प्रदेश के सांसदों व विधायकों का भी समर्थन मिल रहा है। बुधवार को निगमों को फंड दिलाने की मांग को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी व सांसद गौतम गंभीर भी धरने पर बैठे और निगम के हक में आवाज उठाई। ये नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, इनके पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर से बाहर किसी

बैठक के लिए चले गए थे।

जैसे ही अरविंद केजरीवाल अपने काफिले के साथ निकले। उस समय ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने टवीट करके कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी अपनी गाड़ी में बैठक कर निकल गए हैं। दिल्ली सरकार तुरंत एमसीडी का बकाया पैसा वापस करें। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मूलतः आम आदमी के विरोधी है। इनकी वजह से छोटे-छोटे कर्मचारी, सफाईकर्मों, डॉक्टर आदि वित्तीय संकट झेल रहे हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं, दूसरी तरफ गौतम गंभीर ने धरने पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को द्घिटर पर टंग करते हुए

लिखा कि कब तक छुंघेंगे पीछे दीवार के, कभी तो निकलेंगे मफ्लर संवार के।

निगम के बकाए 13000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर निगम नेताओं का धरना जारी रहा। इस धरने में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर जयप्रकाश, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर अनामिका मिथिलेश सिंह, और पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर निर्मल जैन सहित अन्य निगम नेताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री धर्ष मलहोत्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार सहित जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे।

नहीं रहे मंगलेश डबराल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

हिंदी के प्रख्यात कवि, पत्रकार एनं साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित मंगलेश डबराल का बुधवार को कोरोना विषाणु संक्रमण से निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। वे करीब 12 दिन पहले संक्रमित हुए थे। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। जनसंस्कृति मंच से जुड़े और उनके नजदीकी रहे संजय जोशी ने बताया, ‘वे पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और हालत बिगड़ने के बाद उन्हें उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था।’ उनके फेफ-ड़े में संक्रमण था। मूल रूप से उत्तराखण्ड के निवासी डबराल जनसंस्कृति मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। मंगलेश डबराल ने लंबे समय तक जनसत्ता के

साहित्य पृष्ठ का संपादन किया। इससे पहले वे प्रतिपक्ष, पूर्वग्रह, अमृत प्रभात आदि पत्रिकाओं से जुड़े रहे।

इस समय वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। जोशी ने बताया कि रघुबीर सहाय और मंगलेश डबराल दोनों पत्रकारिता से जुड़े थे, लेकिन डबराल का अपना सृजन कविता में था। पहाड़ के विस्थापन के अलावा उन्होंने शहरी जीवन पर काफी लिखा। मंगलेश डबराल अपने पीछे कविताओं का ऐसा संसार छोड़ गए हैं, जो उनकी याद दिलाता रहेगा। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में ‘पहाड़ पर लालटेन’, ‘घर का रास्ता’, ‘नए युग में श्रु’ और यात्रावृत ‘एक बार आयोवा’ आदि शामिल हैं।डबराल को साहित्य अकादेमी पुरस्कार के अलावा शमशेर सम्मान, स्मृति सम्मान, पहल सम्मान और हिंदी अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया था।



PUBLIC NOTICE EMERGING INDIA VALUE ADVISORS LLP (LLPIN AAU-4813)
Address: A-4, Basement, Lajpat Nagar III, New Delhi- 110024
Pursuant to Rule 17 of LLP Rules 2009
Notice is hereby given that above said LLP intends to change its registered office from Delhi to Haryana. Any person whose right or interest is affected can intimate within 21 days of this notice.
New Address: Plot No. 277, Sector-15, Faridabad, Haryana 121007
For further details contact: info@eiva.in
For Emerging India Value Advisors LLP PARTNER : NEW DELHI DATED: 09.12.2020

फॉर्म नं. यूआरसी-2
अध्याय XXII के भाग 1 के तहत पंजीकरण संबंधी सूचना का विज्ञापन <i>[कंपनी नियमन, 2013 की धारा 374(1)(i) और कंपनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]</i>
1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा(2) के अनुसार में पंजीकृत, नई दिल्ली से एक अधिवेदन किया जा रहा है कि जालवे सेनेटोरेल एलरवसी (पंजीकरण सं. AAL-6516) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXII के भाग 1 के तहत पंजीकृत हो सकती है।
2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं: उत्पादन, निर्यात, निर्यात, डी.टी. प्रमोटर, प्रसंस्करण, निर्यात, आयात, निर्यात, खरीद, बिक्री और सामान्य सभी प्रकार की सेनीटरी फिटिंग्स और बायोमैक फिटिंग्स जैसे ब्रास फिटिंग्स, स्टील फिटिंग्स, टाइल्स, सिरेमिक वेयर और हाथवेयर में डील
3. संस्थापक कंपनी की प्रति और प्रस्तावित कंपनी के संस्था के अतिरिक्त सम्मान नं. 837, ब्लॉक-बी, सारस्वती विहार, श्रीमधुपुर, नई दिल्ली-110084 स्थित पंजीकृत कार्यालय में देखे जा सकते हैं।
4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस अधिवेदन से कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति लिखित में एवं तब, आदिफरफरीआई टोवर, 61, नेशनल चेंसर, नई दिल्ली-110019 स्थित पंजीकृत को इस सूचना प्रकाशन की तारीख से इकतलस दिन के अंतर किया कर सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति कंपनी को इमेल पर संदेशित करवाते हैं।
दिनांक 10 दिसंबर, 2020
838 बानवे सेनेटोरेन एलरवसी प्रतिपक्ष अवलोक (पंजीकरण नं. 837, ब्लॉक-बी, सारस्वती विहार) बीबीआईएन 07927160

मिश्रित प्रतिशत दर ई-निविदा आमंत्रण प्रेस सूचना का शुद्धिपत्र प्रशासनिक कारणों से ऑनलाइन पोर्टल <https://dopcivil.uni-wizarde.com> के माध्यम से फ्लोट की गई “एयरपोर्ट, नई दिल्ली में इन्टेग्रल पार्सल हब के लिये एएमपीसी बिल्डिंग के वटिकल विस्तार” कार्य के लिये इस कार्यालय के पत्रांक एनआईटी/ईईपीसीएनडी/2020-21/86 के माध्यम से प्रसारित एनआईटी सं एनआईटी/ईईपीसीएनडी/2020-21/86 तथा शुद्धिपत्र तिथि 2.12.2020 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

कार्यपाकक अभियंता (सिविल) पोस्टल सिविल प्रभाग नई दिल्ली

pnb पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank <i>...पुनर्गठित का प्राधिकृत (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!</i> संकेतल सत्ता - गाजियाबाद IIए तल, केज 13, कवि नगर, गाजियाबाद-201002, उ.प्र., ई-मेल: cs8228@pnb.co.in कच्चा सूचना [नियम ४(1)] जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद “उक्त अधिनियम” वर्णित) के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, बीओ: लोहा मंडी, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 30.10.2017 जारी कर ऋणधारक श्री गुरविन्दर लाउटे, पुत्र हाकिम सिंह एवं गान्धर सुरेन्द्र सिंह लाउटे, पुत्र हाकिम सिंह (ख़ाता नं. 613300NC00002345) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना में वर्णित राशि रु. 22,73,959.00/- (रुपये बाईस लाख सहितर हजार नी सी उन्सठ मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/गान्धर/माटीगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 8 दिसम्बर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 22,73,959.00/- (रुपये बाईस लाख सहितर हजार नी सी उन्सठ मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे का ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण उप-रजिस्ट्रार III, गाजियाबाद के भीतर श्री गुरविन्दर लाउटे के नाम में मोहल्ला रामगढ़, गली नं. 1, पटेल मार्ग ग्राम भोजा, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में आवासीय मकान सं. 316, 1ला तल (छत के अधिकार के साथ), खसरा नं. 515, कुल क्षेत्रफल 183.66 वर्ग मी., कवर्ड एरिया 27.87 वर्ग मी. का ईएम। धार्यस्थान: उत्तर: 12' चौड़ा रास्ता, पूर्व: गुरुवक्श सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण: ज़ुट मिल, पश्चिम: ज़ुट मिल स्थान: गाजियाबाद, तिथि: 8.12.2020 प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक	
--	--

इंडियन बैंक Indian Bank <i>...पुनर्गठित का प्राधिकृत (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!</i> संकेतल सत्ता - गाजियाबाद IIए तल, केज 13, कवि नगर, गाजियाबाद-201002, उ.प्र., ई-मेल: be.olderfaridabad@allahabadbank.in कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम ४(1) के अंतर्गत] जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 28.02.2020 जारी कर ऋणधारकों श्री देवी सिंह, पुत्र श्री पोलोप सिंह तथा श्री आकाश तैवतिया, पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी: एच. नं. 115, वार्ड नं. 02, फाजलपुर (नया गाँव), जनीली रोड, पलवल, हरियाणा को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 56,60,031/- (रुए छप्पन लाख साठ हजार इक्कतीस मात्र) तथा उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 9 दिसम्बर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 56,60,031/- (रुए छप्पन लाख साठ हजार इक्कतीस मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए इंडियन बैंक के चार्ज के अधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण आकाश तैवतिया, पुत्र श्री देवी सिंह के नाम में फाजलपुर (नया गाँव), जनीली रोड, पलवल में स्थित रेक्ट. नं. 16, किल्ला नं. 7(4-0) में शामिल आवासीय मकान की सम्पत्ति आईडी नं. टेम्प 7846, माप 13 मरत्ता (400 वर्ग याईस) का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: उत्तर: 16' चौड़ी गली, दक्षिण: श्री राजेन्द्र- (मास्टर) का मकान, पूर्व: जनीली रोड, पश्चिम: राजेश रानी की सम्पत्ति। सम्पत्ति। तिथि: 9.12.2020, स्थान: पुराना फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक	
--	--

pnb पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank <i>...पुनर्गठित का प्राधिकृत (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!</i> संकेतल सत्ता - गाजियाबाद IIए तल, केज 13, कवि नगर, गाजियाबाद-201002, उ.प्र., ई-मेल: cs8228@pnb.co.in कच्चा सूचना [नियम ४(1)] जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद “उक्त अधिनियम” वर्णित) के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, बीओ: कोशाम्बी, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.07.2020 जारी कर ऋणधारक मै. विनयल काम्यनिकेशन, प्रोप्राईटर श्री रमेश सिंह (ख़ाता नं. 3000008700000596) तथा गान्धर श्रीमती अजीता सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना में वर्णित राशि रु. 87,17,357.41/- (रुपये सतासी लाख सतरह हजार तीन सी सत्रावन तथा पैसे इकतलस मात्र) (31.3.2020 तक ब्याज सहित) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/गान्धर/माटीगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 7 दिसम्बर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 87,17,357.41/- (रुपये सतासी लाख सतरह हजार तीन सी सत्रावन तथा पैसे इकतलस मात्र) (31.3.2020 तक ब्याज सहित) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे का ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण ईएम: श्रीमती अजीता सिंह के नाम में पंजीकृत मोहल्ला संतपुर, मोदी नगर, परगणा जलालाबाद, तहसील मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में एच. नं. 697, पुराना नं. 5/171, क्षेत्रफल माप 158.5 वर्ग याईस में स्थित आईपी। स्थान: गाजियाबाद, तिथि: 8.12.2020 प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक	
--	--

मौसम	
तापमान	नई दिल्ली
अधिकतम-25.4 डि.से.	सूर्योदय- 7:03
न्यूनतम- 12.4 डि.से.	सूर्यास्त- 17:25
जनसत्ता, नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 2020	3

रेल सेवा की बहाली
सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा रेलगाड़ी सं. 02422 जम्मू तवी-दिल्ली जं.—अजमेर स्पेशल की सेवा को दिनांक 11.12.2020 से तथा 02421 अजमेर–दिल्ली जं.—जम्मू तवी स्पेशल की सेवा को 12.12.2020 से बहाल करने का निर्णय लिया गया है।
नोट: रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनित्वाङ्गेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।
नोट: किसी भी जानकारी के लिए कृपया रेलवे पृष्ठताछ नं. 139 से सम्पर्क करें या भारतीय रेल की वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर सम्पर्क करें।
सुरक्षा हेल्पलाइन नम्बर 182 इंटिग्रेटेड हेल्पलाइन नम्बर 139
2755/20 पर हमें फ़ोन करें
उत्तर रेलवे www.nr.indianrailways.gov.in पर मिले
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

	पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है		जौगल आफिस- II, बी-38
चल/अचल बंधक सम्पत्तियों की बिक्री		
ईएमडी (धरोहर राशि) तथा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि		
बैंक के प्रभारधारिता चल एवं अचल आस्तियों की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन बिक्री। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / अधिकारीगण निम्नलिखित ऋण खातों में नीचे दिए विवरण के अनुसार बैंक की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज की वसूली के लिए प्रतिवृत्ति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत नीचे ख़ाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की गई सूचना के अनुसरण में अधोवर्णित सम्पत्तियों का कब्जा उनको "जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है" आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित प्राप्त कर चुके हैं और जबकि बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया राशि को वसूली का प्रस्ताव किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री (https://www.bankeauctions.com) वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।		
अचल/अचल		
क्र. सं.	शाखा एवं ख़ाते का नाम	मांग सूचना की तारीख
1	पीएसबी, नया बाजार इंदू और दीपक	16-12-2019
2	पीएसबी, पीरागढ़ी जोगिंदर सिंह और भूपिंदर कौर	18-11-2013
3	पीएसबी, पीरागढ़ी पवरटेक कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	20-05-2014
4	पीएसबी, राजौली गार्डन राज कुमार	26.04.2016
5	पीएसबी, राजौली गार्डन आशी राजीव रॉय	26.04.2016
6	पीएसबी, राजौली गार्डन रचना और राज कुमार	10.10.2016
7	पीएसबी, राजौली गार्डन विनोद कुमार	10.10.2016
8	पीएसबी, कशमीरी गेट पूनम और अमित कुमार सिंह	18.07.2017
9	पीएसबी, कशमीरी गेट अजय आनंद और सोनिया आनंद	16.09.2017

नियम व शर्तें-

- ई-नीलामी **“जैसा है जहां है”** तथा **“जैसा है जोभी है”** आधार पर आयोजित की जा रही है
- प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति / यों के स्थानित तथा सम्पत्ति को प्राप्तित करने वाले दायों /अधिकारों / बकाया राशिओं के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन, बैंक की कोई वचनबद्धता निमित्त नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता सम्झा जाएगा। सम्पत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात और अज्ञात सम्पत्ति विधान और बाढ़ी ऋणधारों सहित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रख्यात गैरिडिटर किसी तृतीय पक्ष दायों /अधिकारों /देय शक्तियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और संप्रुष्ट करने की बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी।**
- इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा कर दी है वे लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाएं, डाटा अपलोडिंग करेंगे, बोली जमा करेंगे, ई-निधिंण प्रक्रिया पर प्रविक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए हेल्प लाईन नं. +91-7291981124, 7291981125, 7291981126, हेल्प लाईन ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com और किसी भी संपत्ति से संबंधित पूछताछ हेतु किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय के समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।**
- एनईएफटी/ आरटीजीएफ के माध्यम से धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही, वेंडिड चूजर आई डी और पासवर्ड चारक बोलीकर्ता ही ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
- दिनांक 24.12.2020 समय अप. 04:00 तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी ईएमडी जो आरक्षित मूल्य से कम न हो, जमा करने वाले इच्छुक निविदाकार ई-निविदाकरण प्रक्रिया में भागीदारी के लिए पात्र होंगे। उपर्युक्त संपत्तियों की ई-नीलामी प्रत्येक संपत्ति के लिए निर्दिष्ट तिथि और